विचार बिन्दु

किसी को अपना व्यक्तित्व छोड़कर दूसरे का व्यक्तित्व नहीं अपनाना चाहिए। –चैनिंग

राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण

राजस्थान, रेगिस्तान की भूमि, जहां बालू के टीले इतिहास की गाथाएं गुनगुनाते हैं और किले-महल सूरज की किरणों में चमकते हैं, आज एक अनोखे वैभव के दौर से गुजर रहा है। यह वैभव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चकाचौंध और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की गहनता का मेल है। एक ओर जहां हाई-स्पीड रेलमार्ग, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और डिजिटल हाईवे राजस्थान को भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोक कला, पारंपरिक हस्तशिल्प और आध्यात्मिक विरासत नई ऊर्जा के साथ पुनरुत्थान कर रही है। यह नया अध्याय न केवल आर्थिक विकास का प्रतीक है, बल्कि राजस्थान की आत्मा को संरक्षित करते हुए उसे वैश्विक पटल पर चमकाने का माध्यम भी बन रहा है।

कल्पना कीजिए, जयपुर के हवा महल के नीचे से गुजराती मेट्रो ट्रेन, जो राजपूताना की भव्यता को आधुनिक गति प्रदान कर रही है। या फिर उदयपुर के झीलों के किनारे विकसित हो रही स्मार्ट टूरिज्म सुविधाएं, जहां ड्रोन तकनीक से संचालित लाइट शो फतेह सिंह के काल की कहानियां जीवंत कर देते हैं। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम और स्मार्ट सिटी मिशन ने राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बना दिया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर जैसी शहरों में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट विस्तार और हाईवे नेटवर्क का जाल बिछ चुका है। उदाहरणस्वरूप, दिल्ली-जयपुर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जो 2026 तक चालू होने की कगार पर है, यात्रा के समय को आधा कर देगा। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों के उत्पाद वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेंगे।

यह इंफ्रास्ट्रक्चर केवल कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है; यह सांस्कृतिक पुल है। राजस्थान के गांवों में सोलर पैनल खेतों के बीच अपनी अलग छठा बिखेर रहे है। राज्य सरकार की राजस्थान क्राफ्ट प्रमोशन नीति ने हस्तशिल्प को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। ई-कॉमर्स साइट्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बगरू प्रिंट, कठपुतली और बंधेज साड़ियां बिक रही हैं, जो सीधे कारीगरों के हाथों से ग्राहक तक पहुंचती हैं। जयपुर का ब्लू पॉटरी अब 3डी प्रिंटिंग तकनीक से संयोजित होकर आधुनिक डिजाइन में उपलब्ध है। यह पुनर्जागरण सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, जहां परंपरा और तकनीक का संगम हो रहा है।

जोधपुर, ब्ल्यू सिटी , जहां थार एक्सप्रेसवे ने रेगिस्तान को पार करने का समय घटाकर दो घंटे कर दिया है, अब सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहां के उम्मेद भवन पैलेस को होटल ताज ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है, लेकिन साथ ही स्थानीय लोक संगीत को प्रमोट करने के लिए रूरल फेस्टिवल आयोजित हो रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जो 2025 में 10 करोड़ पर्यटकों का आंकड़ा पार कर चुका। इससे उत्पन्न राजस्व सांस्कृतिक संरक्षण में लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले में वर्चुअल रियलिटी (वीआर) टूर शुरू हुआ है, जो पर्यटकों को राठौड़ राजाओं के युग में ले जाता है। यह तकनीक न केवल शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि राजस्थानी इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाती है।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक बनेगा। राजस्थान अब न केवल इतिहास का भंडार है, बल्कि भविष्य का प्रतीक भी। यह पुनर्जागरण हमें सिखाता है कि परंपरा और प्रगति का संतुलन ही सच्ची प्रगति है। आने वाले दशक में राजस्थान विश्व पटल पर चमकेगा, अपनी नीली छत्रियों, सुनहरी रेत और आधुनिक आकाशचुंबी इमारतों के साथ। यह अध्याय अभी शुरू हुआ है, और इसका अंतिम पृष्ठ हम सब मिलकर लिखेंगे।

उदयपुर, झीलों का शहर, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित हो रहा है। यहां के पुष्कर झील पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट न केवल ऊर्जा प्रदान कर रहा है, बल्कि सांस्कृतिक उत्सवों को रोशन कर रहा है। राजस्थान दिवस समारोह में ड्रोन शो के माध्यम से मेवाड़ की वीर गाथाएं दिखाई जाती हैं। यह मेल आधुनिकता और परंपरा का प्रतीक है। इसी तरह, अलवर में भर्तृहरि मंदिर के आसपास विकसित हो रही ग्रीन हाईवे परंपरागत लोक नृत्यों को स्टेज दे रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ने रोजगार सृजन किया है – निर्माण क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां पैदा हुईं, जो स्थानीय कलाकारों को सशक्त बना रही हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह अब डिजाइनर ब्लॉक प्रिंटिंग यूनिट चला रहे हैं, जो एयरपोर्ट पर स्टोर के माध्यम से बिकते हैं।

लेकिन यह पुनर्जागरण केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं। ग्रामीण राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिछे सड़क नेटवर्क ने दूरदराज के गांवों को मुख्यधारा से जोड़ा है। बाड़मेर के रेगिस्तानी गांवों में सोलर-पावर्ड कम्युनिटी सेंटर्स लोक कथाओं और कठपुतली शो के लिए केंद्र बन गए हैं। यहां के मांगणियार संगीतकार अब यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर अपनी रचनाएं अपलोड कर रहे हैं, जो सरहदी संस्कृति को वैश्विक बनाती हैं। राज्य की कलाकृति योजना ने 50 हजार कारीगरों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग शामिल है। इससे उनकी आय दोगुनी हो गई। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन रहा है।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने सांस्कृतिक पर्यटन को नया आयाम दिया। जयपुर का चौखी ढाणी अब इको-रिसॉर्ट के रूप में विकसित हो गया, जहां सोलर एनर्जी से चलने वाले पारंपरिक ढाबे लोक भोजन परोसते हैं। दुनिया भर से पर्यटक आकर घूमर नृत्य और कालबेलिया संगीत का आनंद लेते हैं, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में हैं। कोटा में चंबल नदी पर बने ब्रिज ने बारादरी उत्सव को नया रूप दिया। यह सब राजस्थान को कल्चरल हब ऑफ इंडिया बनाने की दिशा में कदम है।

चुनौतियां भी हैं। तेज विकास में पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। थार रेगिस्तान में हाईवे निर्माण से जैव विविधता प्रभावित हो रही है। लेकिन राज्य सरकार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। आईआईटी जोधपुर और बीआईटीएस पिलानी जैसे संस्थान अब राजस्थानी कला पर शोध कर रहे हैं। स्टार्टअप्स जैसे राज दीर्घा पारंपरिक ज्वेलरी को मॉडर्न डिजाइन से जोड़ रहे हैं।

राजस्थान में मंदिरों के प्रति भाव एवं रुझान हमारी पुरातन संस्कृति की तरफ एक कदम है। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा अब छोटे-छोटे प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में स्थित शिव मंदिर भी अपनी अलग छठा बिखेर रहे है।

यह नया अध्याय राजस्थान की आत्मा को मजबूत कर रहा है। जहां एक ओर बुलेट ट्रेन रेत के टीलों को पार करेगी, वहीं लोकवार्ता नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक बनेगा। राजस्थान अब न केवल इतिहास का भंडार है, बल्कि भविष्य का प्रतीक भी। यह पुनर्जागरण हमें सिखाता है कि परंपरा और प्रगति का संतुलन ही सच्ची प्रगति है। आने वाले दशक में राजस्थान विश्व पटल पर चमकेगा, अपनी नीली छत्रियों, सुनहरी रेत और आधुनिक आकाशचुंबी इमारतों के साथ। यह अध्याय अभी शुरू हुआ है, और इसका अंतिम पृष्ठ हम सब मिलकर लिखेंगे।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

राशिफल शनिवार 7 मार्च, 2026

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, चतुरथी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, चित्रा नक्षत्र दिन 11:16 तक, वृद्धि योग प्रात: 6:52 तक, बालव करण सायं 7:18 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 11:16 से सूर्योदय तक है। भद्रा प्रात: 5:29 से सायं 5:54 तक रहेगी। आज कल्पादि, चतुरथी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:16 से 9:44 तक, चर 12:38 से 2:05 तक, लाभ-अमृत 2:05 से 5:00 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:49, सूर्यास्त 6:27

मेष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

धनु

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति ठीक रहेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कर्क

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

लैंगिक समानता : अधूरी वास्तविकता से पूर्ण समानता की ओर

अलका सक्सेना

समानता का अर्थ केवल अवसर देना नहीं,
बल्कि ऐसा समाज बनाना है
जहाँ अवसर, सम्मान और जिम्मेदारियाँ स्वाभाविक रूप से साझा हों।

लैंगिक समानता आधुनिक समाज के सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किए गए आदर्शों में से एक है। संविधान, नीतियों और सार्वजनिक विमर्श में इसका स्पष्ट समर्थन दिखाई देता है। फिर भी जब हम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हैं, तो यह वादा अक्सर अधूरा प्रतीत होता है। अधिकारों की घोषणा और अनुभव की वास्तविकता के बीच का अंतर ही लैंगिक समानता की सबसे बड़ी चुनौती है।

इक्कीसवीं सदी ने महिलाओं की उपलब्धियों के अनेक नए अध्याय लिखे हैं। विज्ञान, शासन, व्यवसाय, शिक्षा और खेल-हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी क्षमता और नेतृत्व से स्थापित धारणाओं को बदला है। फिर भी प्रश्न बना रहता है कि क्या अवसरों की उपलब्धता मात्र से समानता सुनिश्चित हो जाती है, या वह तब साकार होती है जब सामाजिक और पारिवारिक संरचनाएँ भी उसे सहज रूप से स्वीकार करने लगें।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं ने लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा तय की है और धीरे-धीरे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। फिर भी दिखाई देने वाली प्रगति हमेशा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करती।

आज महिलाएँ कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और साथ ही घर-परिवार की जिम्मेदारियाँ भी निभाती हैं। इसके बावजूद उनकी पूर्ण और समान भागीदारी अब भी सीमित है। पितृसत्तात्मक सोच, गहरे सामाजिक संस्कार और अवसरों तक असमान पहुँच वास्तविक सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा बनते हैं। भारत में लैंगिक समानता का औपचारिक समर्थन व्यापक है। यह संविधान में निहित है, नीतिगत ढाँचों में समाहित है और संस्थागत प्रतिबद्धताओं द्वारा सुदृढ़ किया गया है। शिक्षा और नेतृत्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है तथा भेदभाव और उत्पीड़न के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा भी पहले से अधिक मजबूत हुई है। किन्तु सिद्धांत में हुई प्रगति हमेशा व्यवहार में समानता में परिवर्तित नहीं होती। अनेक महिलाओं के लिए समानता अब भी परिस्थितियों, संस्कृति और संदर्भ पर निर्भर रहती है।

व्यावसायिक क्षेत्रों में औपचारिक समानता अक्सर अनौपचारिक पूर्वाग्रहों के साथ सह-अस्तित्व में रहती है। भर्ती नीतियाँ भले ही लैंगिक रूप से तटस्थ हों, पर करियर के महत्वपूर्ण चरणों पर नेतृत्व की राह महिलाओं के लिए संकरी हो जाती है। प्रदर्शन के मानदंड समान दिखते हैं, फिर भी महिलाओं को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए अक्सर अधिक प्रयास करना पड़ता है। बैठकों में अनदेखी, विचारों को पर्याप्त महत्व न मिलना, या आत्मविश्वास को आक्रामकता समझ लिया जाना, ये सूक्ष्म पूर्वाठाह पेशेवर यात्राओं को प्रभावित करते रहते हैं। मातृत्व के साथ यह चुनौती और गहरी हो जाती है। भले ही नीतियाँ मातृत्व अवकाश और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करती हों, पर धारणाएँ बदल जाती हैं। महिलाओं को अक्सर कम उपलब्ध या कम महत्वाकांक्षी मान लिया जाता है, चाहे उनका वास्तविक प्रदर्शन कैसा भी हो। घर पर देखभाल की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, जबकि उनका समान पुनर्वितरण बहुत कम देखने को मिलता है।

घरेलू श्रम का असमान बँटवारा वास्तविक समानता के मार्ग में एक स्थायी बाधा है। महिलाएँ आज भी घरेलू कार्यों, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल तथा परिवार के भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदारी निभाती हैं। पूर्णकालिक पेशेवर जीवन के बावजूद वे घर लौटकर अक्सर दूसरी पारी निभाती हैं। यह श्रम समाज की स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी आर्थिक दृष्टि से इसे प्राय: कम महत्व दिया जाता है और यह लगभग अदृश्य बना रहता है।

इसका संचयी प्रभाव गहरा होता है, निरंतर थकान, सीमित अवकाश, करियर में रुकावटें और दीर्घकालिक तनाव धीरे-धीरे सामान्य बन जाते हैं। यह अपेक्षा कि महिलाएँ पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करें और साथ ही आदर्श घरेलू भूमिकाएँ भी निभाएँ, एक मौन किंतु स्थायी दबाव उत्पन्न करती है।

समानता का आकलन केवल प्रतिनिधित्व या शिक्षा तक पहुँच से नहीं किया जा सकता। उसे दैनिक जीवन की वास्तविकताओं में भी दिखाई देना चाहिए, परिवार में आपात स्थिति आने पर कार्य-समय कौन बदलता है, पदोन्नति का अवसर कौन छोड़ देता है, या करियर के लिए स्थानांतरण कौन करता है। यही प्रश्न औपचारिक अधिकारों और वास्तविक समानता के बीच के अंतर को उजागर करते हैं।

सांस्कृतिक अपेक्षाएँ भी इस असंतुलन को मजबूत करती हैं। समाज सफल महिलाओं का सम्मान तो करता है, पर उनकी प्राथमिक पहचान अब भी देखभाल करने वाली के रूप में देखी जाती है। एक सफल पुरुष से शायद ही कभी उसके घरेलू दायित्वों के बारे में पूछा जाता है, जबकि एक सफल महिला से अक्सर पूछा जाता है कि वह सब कुछ कैसे संभालती है। कार्यस्थलों पर लचीले कार्य-समय, अभिभावकीय अवकाश और बाल-देखभाल सुविधाओं जैसे सुधारों पर चर्चा बढ़ी है। परंतु केवल नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं। सांस्कृतिक स्वीकृति और ईमानदार क्रियान्वयन के बिना लचीलापन प्रतीकात्मक ही रह जाता है। लैंगिक समानता के पक्ष में आर्थिक तर्क भी मजबूत हैं। कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी उत्पादकता, पारिवारिक आय और दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास को सुदृढ़ करती है। परंतु समानता केवल आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि न्याय और गरिमा का प्रश्न भी है।

सच्ची प्रगति के लिए साझा जिम्मेदारी आवश्यक है। संस्थानों को पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करनी होंगी, भेदभाव-विरोधी कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना होगा और समावेशी कार्य-संस्कृति विकसित करनी होगी। समाज को उन मान्यताओं को चुनौती देनी होगी जो पुरुषत्व को केवल कमाने और स्त्रीत्व को केवल देखभाल से जोड़ती हैं। परिवारों के भीतर भी जिम्मेदारियों का न्यायपूर्ण बँटवारा आवश्यक है। इस परिवर्तन में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है; यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब समानता असाधारण दृढ़ता की मांग करना बंद कर देगी, जब जिम्मेदारियाँ स्वाभाविक रूप से साझा होंगी, करियर में विराम स्थायी हानि का कारण नहीं बनेगा और सम्मान बार-बार सिद्ध नहीं करना पड़ेगा।

प्रगति हुई है, पर यात्रा अभी अधूरी है। समानता की दिशा में उल्लेखनीय कदम अवश्य उठे हैं, किंतु वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब समानता को सिद्ध करने या उसके लिए निरंतर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब घर और कार्यस्थल दोनों में अवसर, सम्मान और जिम्मेदारियाँ स्वाभाविक रूप से साझा होंगी, तब लैंगिक समानता केवल नीतियों या घोषणाओं का विषय नहीं रहेगी, बल्कि जीवन की सामान्य और स्वीकृत व्यवस्था बन जाएगी।

उस दिन समाज की प्रगति का मापदंड यह नहीं होगा कि महिलाओं ने कितनी बाधाएँ पार कीं, बल्कि यह होगा कि उन्हें बाधाओं का सामना करना ही क्यों नहीं पड़ा। तब यह प्रश्न भी अप्रासंगिक हो जाएगा कि समाज लैंगिक समानता की दिशा में कितना आगे बढ़ा है, क्योंकि समानता स्वयं जीवन की स्वाभाविक वास्तविकता बन चुकी होगी।

समानता तब पूर्ण होगी
जब अवसर, सम्मान और जिम्मेदारियाँ
किसी सिद्धांत के कारण नहीं,
बल्कि स्वाभाविक रूप से साझा होंगी।

–अलका सक्सेना,
अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क
(सेवानिवृत)

सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वक्तव्य : आचार संहिता अब अनिवार्य क्यों?

सुनील दत्त गोयल

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्थाएँ होती हैं – और इन संस्थाओं की साख उनके पदाधिकारियों के आचरण से तय होती है। न्यायपालिका, प्रशासन और आर्थिक नियामक संस्थाएँ देश की रीढ़ मानी जाती हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरकर सामने आई है, जहाँ सार्वजनिक पदों पर बैठे माननीय और महामहिम व्यक्ति अपने दायित्वों की मर्यादा लांघते हुए ऐसे वक्तव्य और टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जिनका दूरगामी और नकारात्मक प्रभाव समाज, न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

न्यायालयों से बाहर जाती टिप्पणियाँ और गिरती न्यायिक गरिमा : यह एक खुला सत्य है कि हमारे उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीश – चाहे वे सर्वोच्च न्यायालय में हों या विभिन्न उच्च न्यायालयों में – कभी-कभी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ऐसी टिप्पणियाँ कर बैठते हैं जो न तो आवश्यक होती हैं और न ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं। इससे भी अधिक गंभीर स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब यही न्यायाधीश अदालत से बाहर सामाजिक कार्यक्रमों, सेमिनारों या सार्वजनिक मंचों पर व्यक्तिगत भावनाएँ व्यक्त करने लगते हैं।

भले ही यह अनजाने में हो या जानबूझकर – पर इसका असर न्याय व्यवस्था पर पड़ता है। निचली अदालतों में कार्यरत न्यायिक अधिकारी, विशेषकर मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी, कई बार यह मान लेते हैं कि ऊपर से यही संदेश है, और उसी मानसिकता के साथ वे अपने निर्णय देने लगते हैं। यह स्थिति न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों के लिए अत्यंत घातक है। न्याय का मूल सिद्धांत यही है कि फैसला केवल तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के आधार पर हो – न कि किसी वरिष्ठ की टिप्पणी या भावनात्मक संकेत के प्रभाव में।

स्थानीय नियुक्तियाँ और निष्पक्षता पर प्रश्न

एक और संवेदनशील विषय है न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया। जब कोई वकील वर्षों तक किसी राज्य या ज़िले में प्रैक्टिस करता है और बाद में उसी क्षेत्र में न्यायाधीश बना दिया जाता है, तो यह मान लेना भोलेपन से कम नहीं कि वह अपने पुराने सामाजिक, पेशेवर या व्यक्तिगत संबंधों से पूरी तरह मुक्त रह पाएगा।

न्यायाधीश भी मनुष्य होते हैं। वे भी उसी समाज में रहते हैं, उसी समाज में सेवानिवृत्ति के बाद जीवन व्यतीत करते हैं। यही कारण है कि प्रशासनिक सेवाओं – जैसे केन्द्रीय एवं राज्य सेवाओं में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकारी को उसके गृह ज़िले में पोस्टिंग न मिले। ठीक यही सिद्धांत न्यायपालिका में भी लागू होना चाहिए।

यदि यह माना जाता है कि एक कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी अपने गृह क्षेत्र में निष्पक्ष नहीं रह सकता, तो यह मान लेना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इससे अछूते रहेंगे – एक स्पष्ट दोहरा मानदंड है।

विशेष अदालतें: समाधान या नई समस्या?

उत्पीड़न से जुड़े मामलों – विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से संबंधित मामलों – में एक और जटिल समस्या सामने आती है। कई बार जाँच में यह पाया गया है कि शिकायत झूठी या तथ्यहीन थी। इसके बावजूद न तो निर्दोष व्यक्ति को कोई मुआवज़ा मिलता है, न उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भरपाई होती है। उलटे, झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति बेखौफ घूमता रहता है। ऐसे मामलों में यदि शिकायत गलत सिद्ध हो जाए, तो शिकायतकर्ता पर कठोर आर्थिक दंड और दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए। अन्यथा न्यायालयों में मामलों का अंबार इसी तरह बढ़ता रहेगा।

दूसरी ओर, विशेष अदालतों और विशेष न्यायाधीशों की व्यवस्था भी कई सवाल खड़े करती है। जब यह कहा जाता है कि महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई केवल महिला न्यायिक अधिकारी करेंगी, या अनुसूचित जाति-जनजाति मामलों के लिए अलग अदालतें होंगी, तो इसका अप्रत्यक्ष संदेश यही जाता है कि सामान्य न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं हो सकते। यदि न्यायपालिका स्वयं अपने अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास नहीं दिखा पा रही, तो आम जनता से भरोसे की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यह व्यवस्था सामाजिक विभाजन और मानसिक दूरी को भी बढ़ावा देती है, जबकि न्याय का सिद्धांत समानता पर आधारित होना चाहिए। आज़ादी के लगभग 80 वर्ष बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अब भी हमें जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर अलग-अलग न्यायिक ढाँचों की आवश्यकता है?

आर्थिक नीतियाँ और गैर-जिम्मेदार वक्तव्य

यह समस्या केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं है। लगभग एक दशक पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर – जो अब अमेरिका में रहते हैं – अपने कार्यकाल के दौरान एक अलग ही प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। वे कार्यालय समय में आधिकारिक बयान देने से बचते थे, लेकिन शाम होते ही मीडिया मंचों से अर्थव्यवस्था, उद्योग और विभिन्न सेक्टरों पर टिप्पणियाँ करने लगते थे। आज भी ये श्रीमान अपने आप को सुर्ख़ियों में बनाये रखने के लिए आये दिन कोई न कोई अनावश्यक बयानबाजी मीडिया में करते रहते हैं चाहे वो गलत ही साबित हों।

उनके इन बयानों का सीधा असर भारतीय शेयर बाज़ार पर पड़ता था। कई बार शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सेबी की जाँचों में यह भी सामने आया कि कुछ वक्तव्यों के तुरंत बाद असामान्य ट्रेडिंग हुई, जिससे अंदरूनी जानकारी के संदेह को बल मिला। आज भी यह प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कुछ नेता और वरिष्ठ अधिकारी किसी सेक्टर या कंपनी पर बयान देकर बाज़ार को प्रभावित कर देते हैं, जबकि इसका खामियाज़ा आम निवेशक भुगतता है।

अनुशासन ही समाधान है

शेयर बाज़ार केवल निवेश का माध्यम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है। इसके उतार-चढ़ाव करोड़ों लोगों की बचत, मेहनत और भविष्य से जुड़े हैं। इसी तरह, न्यायपालिका केवल फैसले देने की संस्था नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास की अंतिम शरण है। हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन यह प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

अत: मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह सभी सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं और अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दे कि वे ऐसे कोई सार्वजनिक वक्तव्य न दें, जिनसे शेयर बाज़ार, सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली या किसी भी प्रकार की हिंसक अथवा अहिंसक घटना या दुर्घटना को बढ़ावा मिले – क्योंकि आम व्यक्ति इन सब से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।

इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार और न्यायपालिका दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्ति बिना सोचे-समझे कोई वक्तव्य न दें। एक स्पष्ट, लिखित और सख़्त आचार-संहिता लागू हो – चाहे वह न्यायाधीश हों, नियामक संस्थाओं के प्रमुख हों या राजनेता।

न्याय तभी सार्थक है जब वह निष्पक्ष हो और दिखे भी निष्पक्ष। और अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है, जब उस पर भरोसा अडिग रहे। यही संविधान की आत्मा है और यही लोकतंत्र की सच्ची परीक्षा।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक,
इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

विश्व शांति के लिए पुष्कर में 43 दिवसीय "शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ" कल से

महायज्ञ के लिए खेरकड़ी रोड पर लगभग 80 बीघा क्षेत्र में भव्य यज्ञनगरी विकसित की गई है

पुष्कर, (निसं)। विश्वभर में बढ़ते युद्ध जैसे हालात, अंतरराष्ट्रीय तनाव और अस्थिरता के बीच भारत की आध्यात्मिक परंपरा से विश्व शांति के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। तीर्थराज पुष्कर में 8 मार्च से 19 अप्रैल तक 43 दिवसीय "शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ" आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ आहुतियां और 24 करोड़ गायत्री मंत्र जाप के माध्यम से वैश्विक संतुलन और शांति की कामना की जाएगी।

महा निर्माणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में होने वाले इस महायज्ञ की तैयारियां लगभग एक वर्ष पूर्व ही शुरू हो गई थी। स्वामी प्रखर महाराज ने

■ महायज्ञ में 3 करोड़ आहुतियां और 24 करोड़ गायत्री मंत्र जाप के माध्यम से वैश्विक संतुलन और शांति की कामना की जाएगी

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को पहले से ही भांपते हुए इस महायज्ञ का संकल्प लिया था। करपात्री महाराज के प्रमुख शिष्य स्वामी प्रखर महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित यह महायज्ञ विप्र फाउंडेशन और श्री प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। आयोजन समिति के मुख्य संयोजक सुशील ओझा ने बताया कि शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ का उद्देश्य विश्वभर में व्याप्त अशांति और भय को समाप्त कर शांति स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना है।

स्वामी प्रखर महाराज का भी कहना है कि शास्त्रों में महायज्ञों के प्रभाव से सृष्टि-संतुलन और कल्याण का वर्णन मिलता है तो वर्तमान संघर्षपूर्ण वातावरण में आध्यात्मिक साधना के माध्यम से शांति का मार्ग भी प्रशस्त किया जा सकता है।

महायज्ञ आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक तिलक राज शर्मा ने बताया कि महायज्ञ के लिए शास्त्रीय मानकों के अनुरूप 200 हवन कुंडों का निर्माण किया गया है। इन कुंडों में लगभग 3 करोड़ आहुतियां अर्पित की जाएंगी, जबकि महायज्ञ स्थल पर 2000 से अधिक साधक 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे।

आयोजन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी ने बताया कि हवन कुंड केवल अग्नि वेदियां नहीं, बल्कि मां भगवती का मुख माने जाते हैं। महायज्ञ में प्रयुक्त हवन सामग्री से लेकर संपूर्ण विधि-विधान पूर्णत: शास्त्र सम्मत रखा गया है। यज्ञ में 200 चयनित ब्राह्मण दंपति बैठेंगे उन्हें भी विधिवत प्रायश्चित व संकल्प कराया गया है। वहीं 2000 से अधिक साधकों का चयन भी साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष अशोक जोशी ने बताया कि महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ 8 मार्च को सायं 4 बजे भव्य शोभायात्रा के साथ होगा। महायज्ञ के लिए खेरकड़ी रोड पर लगभग 80 बीघा क्षेत्र में भव्य यज्ञनगरी विकसित की गई है, जो आगामी 43 दिनों तक साधना, जप और विश्व कल्याण के संकल्प का केंद्र बनेगी। महायज्ञ संचालक मंडल के सदस्य नवीन शर्मा के अनुसार वर्तमान वैश्विक संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत की आध्यात्मिक परंपरा से प्रेरित यह महायज्ञ विश्व समुदाय को शांति, सद्भाव और संतुलन का संदेश देगा। इस बीच महायज्ञ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरुवार को स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जबकि यज्ञाचार्य, साधक और यजमान पहुंचने लगे हैं।